

नई योजनाओं और आरएमसीए-149, 150, 151, 153, 154, 160, 161, 165, 174, 182 और 184 के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लिए, जिनमें स्वीकृत योजनाएं भी शामिल हैं, जहां संवितरण प्रभावित नहीं हुआ है।

(28 जनवरी 2026 से प्रभावी)

संशोधित पुनर्वर्गीकरण के अनुसार वित्तपोषण पैटर्न							
क्र.सं.	श्रेणी	3 वर्ष निश्चित		1 वर्ष निश्चित		फ्लोटिंग दर	
		मासिक	त्रैमासिक	मासिक	त्रैमासिक	मासिक	त्रैमासिक
1	किफ़ायती आवास और किफ़ायती किराये के आवास परिसर जिसमें किफ़ायती बीएलसी (लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण) शामिल है	9.05%	9.12%	8.60%	8.66%	9.75%	9.83%
2	किफ़ायती आवास/कर्मचारी आवास के अतिरिक्त अन्य आवास पानी और सफ़ाई व्यवस्था शहरी सार्वजनिक परिवहन (रोलिंग स्टॉक को छोड़कर) और सार्वजनिक परिवहन वाहनों की खरीद रेलवे इंफ़्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक शिक्षा संस्थान, खेल इंफ़्रास्ट्रक्चर, अस्पताल स्मार्ट शहर और एकीकृत टाउनशिप	9.15%	9.22%	8.90%	8.97%	10.05%	10.14%

3	उपरोक्त 1 और 2 को छोड़कर अन्य सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा	9.30%	9.37%	9.05%	9.12%	10.20%	10.29%
4	<b>ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएँ:</b>						
	(क) विद्युत उत्पादन - पारंपरिक	10.35%	10.44%	10.10%	10.19%	11.25%	11.36%
	(ख) बिजली उत्पादन - पारंपरिक - मरम्मत, अपग्रेडेशन और रखरखाव; बिजली वितरण और तेल/गैस/लिव्किवफाइड प्राकृतिक गैस (एलएनजी) स्टोरेज सुविधा	10.10%	10.19%	9.85%	9.93%	11.00%	11.11%
	(ग) बिजली उत्पादन - नवीकरणीय, ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) और बिजली संचरण	9.35%	9.42%	9.10%	9.17%	10.25%	10.34%
5	सभी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण	9.70%	9.78%	9.45%	9.52%	10.60%	10.70%
6	सरकारी उपक्रमों/सार्वजनिक एजेंसियों को प्रचालन आवश्यकताओं के लिए विशेष अवधि ऋण						
	(क) ऊर्जा क्षेत्र परियोजनाओं के अलावा अन्य सभी इंफ्रास्ट्रक्चर	--	--	9.35%	9.42%	--	--
	(ख) ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएँ	--	--	10.05%	10.13%	--	--
<b>टिप्पणियाँ:</b>							
1)	फ्लोटिंग दर श्रेणी के लिए, अगर किसी योजना में विशेष फ्लोटिंग दर पहले से ही स्वीकृत है, तो विशेष फ्लोटिंग दर उस समय तक जारी रहेगा जिसके लिए दर स्वीकृत हुआ है। अगर						

	रीसेट करने पर विशेष फ्लोटिंग दर को बढ़ाया नहीं जाता है, तो मौजूदा फ्लोटिंग कार्ड दर लागू होगा।
2)	उपरोक्त वित्तपोषण पैटर्न सिर्फ सरकारी गारंटी की प्रतिभूति के लिए लागू है, जिसमें भुगतान स्वीकार्य संरचित पुनर्भुगतान मैकेनिज्म के अनुसार किया जाएगा।
3)	अगर प्रतिभूति सरकारी गारंटी के अतिरिक्त है, तो परियोजना ऋण के लिए लागू दर (क्र.सं. 1 से 5 के लिए) ऊपर दिए गए दर से 0.35% अधिक होगी और एसटीएल ( क्र.सं. 6 के लिए) ऊपर दिए गए दर से 0.25% अधिक होगी।
4)	अगर किसी उधारकर्ता/परियोजना को इंड-एस के अनुसार स्टेज 3 श्रेणी (एनपीए) में डाउनग्रेड किया जाता है, तो खाते के डाउनग्रेड होने की तिथि से लेकर उसके अद्यतन होने तक 0.35% का जोखिम शुल्क लिया जाएगा।
5)	पूर्वभुगतान शुल्क (टर्म लोन और स्पेशल टर्म लोन दोनों के लिए) सभी मामलों में हडको के वर्तमान दिशानिदेश के अनुसार लगाए जाएंगे, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
6)	फ्रंट-एंड-फीस और आवेदन शुल्क न लेने का प्रावधान जारी रहेगा।
7)	योजना श्रेणी के लिए क्रम संख्या 6 पर, निम्नलिखित लागू हैं:
	क) प्रतिभूति/पुनर्भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जोखिम शुल्क, हडको के वर्तमान दिशानिदेश के अनुसार लागू होंगे, जिन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
	ख) ऋण का समय 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक है
8)	अगर किसी उधारकर्ता/परियोजना को इंड-एस के अनुसार स्टेज 2 श्रेणी में डाउनग्रेड किया जाता है, तो खाते के डाउनग्रेड होने की तिथि से लेकर उसके अद्यतन होने तक 0.25% का जोखिम शुल्क लिया जाएगा।

अनुलग्नक I

(हडको निवास मामलों हेतु अनुमोदित ब्याज दर - खुदरा वित्त)

क्र.सं.	श्रेणी	ऋण राशि		
			फ्लोटिंग दर	निश्चित दर
1.	निर्माण/खरीद/कम्पासिट ऋण/प्लॉट की खरीद/सुधार हेतु व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह, अधिकतम 25 वर्ष तक। (ऋण पात्रता के लिए HN-OM-23-2014 दिनांक 18.11.2014 देखें)	8.00 लाख रुपये तक (सीआरजीएफ के अंतर्गत)	9.60%	9.65%
		8.00 लाख रुपये तक (सीआरजीएफ के अंतर्गत नहीं आता)	9.60%	9.65%
		8.00 लाख रुपये से अधिक-50.00 लाख रुपये तक	9.60%	9.65%
		50.00 लाख रुपये से अधिक 100.00 लाख तक	9.60%	9.65%
2.	<b>सरकारी कर्मचारी:</b>			
i)	6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय (आवेदक और सह-आवेदक) और विवाहित होने पर पति या पत्नी सह-आवेदक होंगे।	20.00 लाख रुपये तक	9.10%	9.20%
ii)	6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक की आय	200.00 लाख रुपये तक	9.20%	9.40%
ख	अन्य उधारकर्ता	100.00 लाख रुपये तक	9.60%	9.65%

टिप्पणी :

1. उपरोक्त दरें हडको के एमसीएलआर से जुड़ी हुई हैं
2. हडको निवास मामलों के लिए उपरोक्त ब्याज दर 01.04.2026 से प्रभावी हैं।

**हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
**प्रभावी ब्याज दरें**

<b>ब्याज दर</b>			
<b>क्र.सं.</b>	<b>मासिक विश्राम पर</b>	<b>त्रैमासिक विश्राम पर</b>	<b>प्रभावी वार्षिक दर</b>
1	8.40%	8.46%	8.73%
2	8.50%	8.56%	8.84%
3	8.60%	8.66%	8.95%
4	8.90%	8.97%	9.27%
5	9.05%	9.12%	9.43%
6	9.10%	9.17%	9.49%
7	9.15%	9.22%	9.54%
8	9.20%	9.27%	9.60%
9	9.30%	9.37%	9.71%
10	9.35%	9.42%	9.76%
11	9.45%	9.52%	9.87%
12	9.50%	9.58%	9.92%
13	9.70%	9.78%	10.14%
14	9.75%	9.83%	10.20%
15	9.85%	9.93%	10.31%
16	10.05%	10.14%	10.53%
17	10.10%	10.19%	10.58%
18	10.20%	10.29%	10.69%
19	10.25%	10.34%	10.75%
20	10.35%	10.44%	10.86%
21	10.60%	10.70%	11.13%
22	11.00%	11.11%	11.57%
23	11.20%	11.30%	11.79%
24	11.25%	11.36%	11.85%
25	12.00%	12.12%	12.68%
26	13.00%	13.14%	13.80%
27	13.25%	13.40%	14.09%
28	13.50%	13.65%	14.37%
29	14.50%	14.68%	15.50%
30	14.75%	14.93%	15.79%
31	15.25%	15.44%	16.36%
32	15.50%	15.70%	16.65%
33	15.75%	15.96%	16.94%
34	16.25%	16.47%	17.52%
35	16.50%	16.73%	17.81%
36	16.75%	16.98%	18.10%
37	17.25%	17.50%	18.68%